नई चेतना-पहल बदलाव की

प्रलिम्सि के लयि:

नई चेतना अभयिान, कुदुम्बश्री मशिन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवकिा

मेन्स के लयि:

नई चेतना अभयिान, कुदुम्बश्री मशिन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवकिा, लगि आधारति हसिा के कारण, लगि आधारति हसिा को समाप्त करने के उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शहरी वकिास मंत्रालय ने **"नई चेतना-पहल बदलाव की" लगि आधारति भेदभाव के खलिाफ समुदाय-नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभयिान शुरू कयिा है।**

- केरल ने भी इसी प्रकार की पहल कुदुम्बश्री मशिन के तहत अभयिान शुरू कयिा।

नई चेतना-पहल बदलाव की, अभयिान

- **परचिय:**
- यह **चार सप्ताह** का अभयिान है, जसिका उद्देश्य **महलिाओं को हसिा को पहचानने और रोकने एवं उन्हें उनके अधकिारों के बारे में जागरूक करने के लयि तैयार करना है।**
    - गतविधियिाँ **'लैंगकि समानता और लगि आधारति हसिा'** के वषिय पर केंद्रति होंगी।
- **लक्ष्य:**
    - यह एक वार्षकि अभयिान होगा जो प्रत्येक वर्ष वशिष्टि लैंगकि मुद्दों पर ध्यान केंद्रति करेगा। इस वर्ष अभयिान का लक्ष्य **लगि आधारति हसिा** है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:**
    - यह अभयिान सभी राज्यों द्वारा **नागरकि समाज संगठनों (Civil Society Organisations- CSO)** के भागीदारों के सहयोग से लागू कयिा जाएगा और **राज्यों, ज़लिों एवं ब्लॉकों सहति सभी स्तरों पर सक्रयि रूप से क्रयिान्वति कयिा जाएगा,** जसिमें वसि्तारति समुदाय के साथ सामुदायकि संस्थानों को शामलि कयिा जाएगा।।
- **महत्त्व:**
    - अभयिान हसिा के मुद्दों को **स्वीकार करने, पहचानने और संबोधति करने हेतु ठोस प्रयास करने के लयि सभी संबंधति वभिागों एवं हतिधारकों को एक साथ लाएगा।**

कुदुम्बश्री मशिन

- यह केरल सरकार के **राज्य गरीबी उन्मूलन मशिन (State Poverty Eradication Mission- SPEM)** द्वारा कार्यान्वति गरीबी उन्मूलन और महलिा सशक्तीकरण कार्यक्रम है।
- मलयालम भाषा में कुदुम्बश्री नाम का अर्थ है **'परवािर की समृद्धि'**। यह नाम **'कुदुम्बश्री मशिन' या SPEM के साथ-साथ कुदुम्बश्री सामुदायकि नेटवर्क का प्रतनिधित्वि करता है।**

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवकिा मशिन

// 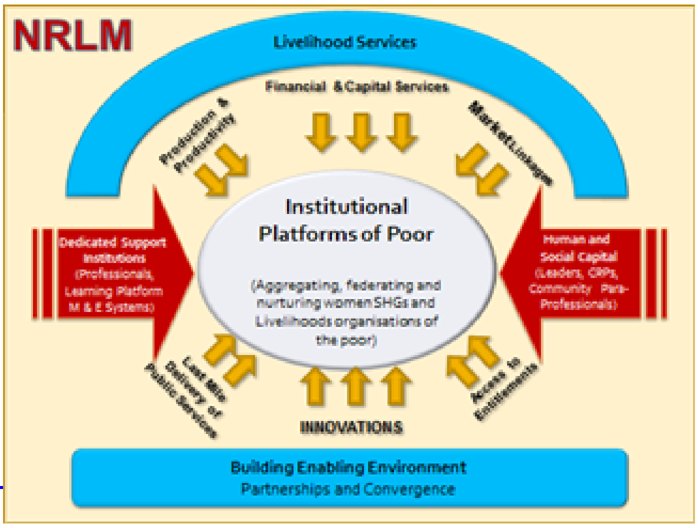

- **परिचय:**
  - इसे **"दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission- DAY-NRLM)"** के रूप में जाना जाता है।
  - यह जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है।
  - सरकार ने प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति की सिफारिश को स्वीकार कर वित्त वर्ष 2010-11 में**"स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)"** को "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)" में पुनर्गठित किया।
- **उद्देश्य:**
  - इस **योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु** कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।
- **उप- योजनाएँ**
  - **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना:**
    - **कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये जो महिला किसानों की आय में वृद्धि करते हैं** और उनकी इनपुट लागत और जोखिम को कम करते हैं, यह मिशन महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) को लागू कर रहा है।।
  - **स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना:**
    - यह अपनी **गैर-कृषि आजीविका रणनीति के भाग के रूप में DAY-NRLM** स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY) कार्यान्वित कर रहा है।
      - SVEP का उद्देश्य स्थानीय उद्यमों की स्थापना के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है।
      - AGEY को अगस्त 2017 में शुरू किया गया था, जो दूरदराज़ के ग्रामीण गाँवों को जोड़ने के लिये सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएँ प्रदान करता है।
  - **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना:**
    - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के प्लेसमेंट से जुड़े कौशल का निर्माण करना और उन्हें **अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत उच्च मजदूरी वाले रोजगार क्षेत्रों में रखना है।**
  - **ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान:**
    - 31 बैंकों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में, ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार लेने के लिये कुशल बनाने के लिये **ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों (RSETIs)** को सहायता प्रदान कर रहा है।

लिंग आधारित हिंसा के प्रमुख कारण:

- **सामाजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक कारक:**
  - भेदभावपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक मानदंड और प्रथाएँ महिलाओं और लड़कियों को हाशिए पर डालती हैं और उनके अधिकारों का सम्मान करने में विफल रहती हैं।।
  - लैंगिक रूढ़ियों का उपयोग अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सही ठहराने के लिये किया जाता है। सांस्कृतिक मानदंड अक्सर यह तय करते हैं कि पुरुष आक्रामक, नियंत्रित और प्रमुख हैं, जबकि महिलाएँ विनम्र, अधीन हैं, और प्रदाताओं के रूप में पुरुषों पर भरोसा करती हैं। ये मानदंड दुरुपयोग की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं।
  - परिवार, सामाजिक और सांप्रदायिक संरचनाओं का पतन और परिवार के भीतर बाधित भूमिकाएं अक्सर महिलाओं और लड़कियों को जोखिम में डालती हैं और सुरक्षा और निवारण के लिये तंत्र और अवसरों को सीमित करती हैं।
- **व्यक्तिगत बाधाएँ:**
  - सामाजिक कलंक, अलगाव और सामाजिक बहिष्कार का खतरा या डर तथा आने वाले समय में अपराधी, समुदाय, या अधिकारियों के हाथों गिरफ्तारी, हिरासत में लिये जाना, दुर्व्यवहार और सज़ा हिंसा का शिकार होने की धमकी या डर शामिल है।
  - मानवाधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रभाव:

- यह महिलाओं के स्वास्थ्य के सभी पहलुओं-**शारीरिक, यौन और प्रजनन, मानसिक और व्यावहारिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।** इस प्रकार यह उन्हें उनकी पूरी क्षमता का एहसास होने से वंचित करता है।
- हिंसा और संबंधित धमकी महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के कई रूपों में**सक्रिय तथा समान रूप से भाग लेने की क्षमता को प्रभावित करती है।**
- कार्यस्थल पर उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तथा उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर प्रभाव पड़ता है।
- यौन उत्पीड़न महिलाओं के शैक्षिक अवसरों और उपलब्धियों को सीमित करता है।

लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिये आवश्यक कदम:

- लिंग आधारित हिंसा (Gender Based Violence- GBV) को**समाज, सरकार और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से समाप्त किया जा सकता है।**
- लिंग आधारित हिंसा को पहचानने और पीड़ितों की पहचान कर उससे संबंधित आवश्यक कदम उठाने के लिये**स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित** करना पीड़ितों की सहायता करने के सबसे महत्त्वपूर्ण तरीकों में से एक है।
- GBV को दृश्यमान बनाने, विज्ञापन समाधानों, नीति-निर्माताओं को सूचित करने और जनता को कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और GBV को पहचानने और **इसे रोकने के लिये मीडिया एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।**
- **शिक्षा:** स्कूल, GBV को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित पाठ्यक्रम, यौन शिक्षा, स्कूल परामर्श कार्यक्रम और स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा हिंसा को रोका जा सकता है।
- कई अध्ययनों से पता चला है कि GBV को रोकने के लिये इसकी पहचान, समाधान और संबंधित कार्यप्रणाली में सभी समुदायों को शामिल करना इसे रोकने के बेहतर तरीकों में से एक है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। (2014)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nai-chetna-pahal-badlav-ki